न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 156/2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कुनणी पत्नी हरचन्दराम विश्नोई 2. मांगीदेवी पत्नी भंवरलाल विश्नोई (निवासी उदाणियों की ढाणी, सांवरिज तह0 फलौदी, जोधपुर)		1. अभय कुमारी पत्नी खमूराम विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी, सांवरिज तहसील फलौदी, जिला जोधपुर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, सपठित आदेश 43 नियम 1(ग)(न)सीपीसी विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी फलौदी दिनांक 26.10.2020 राजस्व प्रार्थना पत्र (रेस्टोरेशन) संख्या 36/2020 अनवान कुनणी देवी व अन्य बनाम अभय कुमारी वगैरा

उपस्थित–
1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट्
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से
3. रेस्पो0सं0 1 बावजूद सूचना एवं नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 24.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, सपठित आदेश 43 नियम 1(ग)(न)सीपीसी के तहत अपीलाण्ट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी फलौदी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2011 अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट में पारित आदेश दिनांक 18.05.18 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष प्रस्तुत (रेस्टोरेशन) राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2020 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया–अपीलांट्स–कुनणीदेवी वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र सं0 148/2011 अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उदाणियों की ढाणी में अपीलार्थीया के खसरा नं0 215/3 रकबा 39.04 बीघा भूमि की तरमीम सहायक कलेक्टर–उपखण्ड अधिकारी फलौदी के मुकदमा संख्या 224/2006 में पारित निर्णय एवं डिगरी दिनांक 25.02.2008 द्वारा माफिक राजीनामा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने एवं माफिक नजरी नक्शें के राजस्व नक्शें में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तरमीम करने का आदेश पारित किया गया था। परंतु अप्रार्थीया–रेस्पो0सं0 1 ने आपसी मिलीभगत से अपने खसरा नं0 215/4 की भूमि प्रार्थीया–अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं0 215/3 में गलत रूप से तरमीम करवा ली गई है। जिसे निरस्त कर माफिक निर्णय डिगरी व संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त कराने का आदेश फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व कैम्प फलौदी में दिनांक 18.5.18 को आधारहीन होने तथा न्यायालय आदेश की पालना में हुई तरमीम निरस्त करने बाबत होने के कारण विधि विरूद्ध व सारहीन होने का उल्लेख कर इसे निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया–अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 36/2020 दिनांक 26.10.2020 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स–प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, सपठित आदेश 43 नियम 1(ग)(न) सीपीसी के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम उदाणियों की ढाणी के खसरा नं0 215 रकबा 156.14 बीघा भूमि का विभाजन इसके खातेदार बरसींगाराम, जोधाराम, पांचाराम, अभय कुमारी तथा अपीलार्थीया कुनणीदेवी व मांगी देवी के मध्य दावा सं0 224/2006 में जरिये राजीनामा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2008 सहायक कलेक्टर फलौदी द्वारा पारित किया गया। जिसमें अपीलार्थीया के हिस्से में खसरा नं0 215/3 तथा रेस्पो0सं0 1–अप्रार्थीया–अभय कुमारी के हिस्से में खसरा नं0 215/4 रखा गया। रेस्पो0सं0 1 के खसरा अपीलार्थीया के हिस्से से लगता दक्षिण में रखा गया। अपीलार्थीया एवं रेस्पो0सं0 1 के खसरे के बीच की सीमा रेखा सीधी रखी गई परंतु उक्त राजीनामा डिक्री दिनांक 25.02.2008 की पालना में डिक्री में दर्ज नक्शें के अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम नही की गई। रेस्पो0सं0 1 ने आपसी मिलीभगत से अपने खसरान की भूमि के उत्तर की तरफ अपीलार्थीया के हिस्से की भूमि खसरा नं0 215/3 में गलत रूप से तरमीम करवा ली गई है। उक्त विधिविरूद्ध तरमीम को निरस्त कराने एवं माफिक डिक्री अनुसार सही करवाने हेतु अपीलार्थीया ने अधी0 न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थीया एवं उनके अधिवक्ता को बिना सूचना दिये राजस्व केम्प में ले जाकर उसकी गैर हाजरी में एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.05.18 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेकर (रेस्टोर) सुनवाई किये जाने हेतु आग्रह किया गया। जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी फलौदी ने बिना कोई न्याय संगत कारण दिये अपने आदेश दिनांक 26.10.2020 के द्वारा मूल पत्रावली मंगवाकर परीक्षण किए बिना ही खारिज कर दिया गया, जो विधि एवं न्याय की अनिवार्य प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी फलौदी ने प्रार्थीया–अपीलांट्स के मूल प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय पारित आदेश दिनांक 18.5.18 को मैरिट्स पर दिया गया होना बताते हुए प्रार्थीया का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होना मानने में भारी भूल की गई है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 65 की उप धारा 2 में पक्षकार को एक पक्षीय आदेश को अपास्त करवाने का अधिकार दिया गया है।

अपीलार्थीया द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राजस्व नक्शे की तरमीम न्यायालय डिक्री में पारित नक्शें अनुसार नही होने से तरमीम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया था। जिसमें केवल तरमीम डिक्री अनुसार की गई है या नही, के प्रश्न को तय किया जाना था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के एकपक्षीय आदेश दिनांक 18.5.18 द्वारा पूर्व तरमीम की तुलना डिक्री में जारी नक्शे से नही करके तरमीम न्यायालय आदेश से होना मानते हुए अकारण ही खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2020 एवं आदेश दिनांक 18.5.18 को निरस्त फरमाने एवं अपीलार्थीया के राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 148/2011 को पुनः कायम कर, अपीलार्थीया की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया–

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अपीलांट्स–कुनणीदेवी वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र सं0 148/2011 अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् अप्रार्थीया–रेस्पो0सं0 1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीया–रेस्पो0सं0 1 के खसरा नं0 215/4 की भूमि का प्रार्थीया–अपीलांट्स के खसरा नं0 215/3 में हुई गलत तरमीम को निरस्त कर, माफिक निर्णय, डिगरी व उसके संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया था। प्रार्थीया–अपीलांट्स का उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नक्शा ट्रेस की प्रति पी (35 कमांक 593) एवं सहायक कलेक्टर फलौदी द्वारा मुकदमा नं0 224/06 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.08 के सलंग्न राजीनामा एवं नजरी नक्शें का अवलोकन करने पर साबित होता है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर गौर किए बिना दिनांक 18.5.18 को खारिज करने संबंधी आदेश तथा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीया का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज करने के संबंधी आदेश दिनांक 26.10.2020 विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्व (रेस्टोरेशन) प्रार्थना पत्र संख्या 36/2020 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2020 तथा तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र संख्या 148/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.05.18 निरस्त किये जाते है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत दोनो पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रचलित विधि अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए पुनः न्यायोचित आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24 **जून, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24.06.24

(**अजीत सिंह राजावत**)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर